हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

शुक्रवार, 18 मार्च, 2016/28 फाल्गुन, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

श्री कर्ण सिंह, सहकारिता मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, मैकेनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्या: आयु0-क-(3)-20/99 दिनांक 03.04.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.05.2013 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्या: आयु0-क-(3)-5/97-पार्ट-1 दिनांक 20.09.2013, 03.01.2015 तथा दिनांक 22-09-2015 (संशोधनों सहित) द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.09.2013 तथा 04-02-2015 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, स्टाफ नर्स, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्या:आयु0-क-(3)-6/99 दिनांक 30.05.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.07.2013 को प्रकाशित; और

(iv) हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, सहायक परिचारिका दाई, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: आयु0-क-(3)-25/99-पार्ट दिनांक 07.01.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.02.2015 को प्रकाशित ।

((i) से (iv) तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम है)

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **135वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **136वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11(राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **57वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या: 2) के पैरा संख्या:3.3 की संवीक्षा पर आधारित है तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।

(3) **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के **29वां मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 9वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

डॉ0 राजीव सैज़ल, " दिनांक 16 मार्च, 2016 को अमर उजाला समाचार-पत्र में छपे समाचार शीर्षक "**सरकारी दाल के पैकेट में निकला मरा हुआ चूहा**" से उत्पन्न स्थिति की ओर **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. <u>वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान</u>:-

सामान्य चर्चा का समापन।

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 17 मार्च, 2016 सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)